कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/15/2024

श्री विक्रम सिहं पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्रपाल सिहं निवासी कसाई गली, कुम्हेर गेट, भरतपुर
मो0 नं0 9636259636

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिलाधीश (भू.रू.) भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 01.05.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री विक्रम सिहं पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्रपाल सिहं निवासी कसाई गली, कुम्हेर गेट, भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी अति0 जिलाधीश (भू.रू.) भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/253 दिनांक 18.04.2024 से लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर के पत्रांक राजस्व/आर.टी. आई./12/12( )2024/2137 दिनांक 01.05.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित रिकार्ड राजस्व अनुभाग में संधारित नहीं

1......

जिला कलक्टर
भरतपुर

होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र जिला अभिलेखागार भरतपुर को प्रेषित कर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित रिकार्ड राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर में भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा जिला अभिलेखागार ने अपने पत्रांक 29 दिनांक 25.04.2024 से चाही गई सूचना/रिकार्ड राजस्व अनुभाग को भिजवाई गई है। प्राप्त सूचना/रिकार्ड प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/आर.टी.आई./12/12( )2024/2129 दिनांक 30.04.2024 से निःशुल्क उपलब्ध करवा दी गई है।''....

उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। अपील खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध कराने एवं लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) (राजस्व अनुभाग) भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर